

SC22
9/4/2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Criminal Writ Jurisdiction)

Cr.JWC No.-.....of 2014

Shwet Kamal @ Bowa Ji

-Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors.

-Respondents

Sub:-B.C.C .Act

INDEX

Sl.No.	PARTICULARS	Page No.
1	An Application under article 226 & 227 of the Constitution of India & Affidavit.	1-19
2	Annexure-1 A true copy of the Murliganj P.S. Case No.-60/2007 filed by the informant.	20-25
3	Annexure-2 A true copy of the final form.	26-29
3	Annexure-3 A true copy of the deposition certificate dated 28.03.2014.	30
4	Annexure-4 A true copy of the letter dated 29.03.2014.	31-32
5	Annexure-5 A true copy of the Show cause reply dated 01.04.2014.	33-35
6	Annexure-6 A true copy of the order passed by the D.M.Madhepura dated 01.04.2014.	36-37

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Criminal Writ Jurisdiction)

Cr.W.J.C.No. _____ of 2014

Bhwet Kamal @ Powaji Petitioner

Versus

The State of Bihar through Principal

Secretary and others..... Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for quashing the order dated 1.4.2014 passed by the District Magistrate, Madhepura through which whereby petitioner was directed to 13, Madhepura Parliamentary Constituency Election w.e.f. 4.4.2014 to 30.4.2014 Under B.C.C.A. Act and also give his attendance Physically every day at 10 A.M. to 12 A.M.

PARA-5 That petitioner comes from the respected family and his grand father is Freedom Fighter during British Period.

PARA-6 That no one in the family Member of the petitioner in Criminal back ground history.

PARA-7 That seeing the back ground of the petitioner it transpired

(11)

that petitioner is belong to the reputed family of political background.

PARA-8 That all the allegation levelled against the petitioner are wrong and incorrect.

PARA-9 That no any person came forward to complain anything against the petitioner before Collector, Madhepura.

PARA-10 That Murliganj Police Station Case bearing Case No.10 of 2008 filed by Criminal Manoj Kumar who is a veteral criminal and at present he is in jail, and same is Counter blast case of Murliganj Police Station Case No.08 of 2007 filed by Petitioner's family.

PARA-11
Annex-1 In Murliganj Police Station Case No.60 of 2007 Under Section 147,148,148,353,341,342,504 the informant Rabindra Paswan written to the learned Court below through affidavit that petitioner is no where in the picture.

PARA-12 That Murliganj Police Station Case No.129 of 2007 is Counter blast case of ~~129 of 2007~~ filed by Mamera brother case lodged against geteral criminal Guddu Yadav in Murliganj P.S. Case No.128 of 2007, and in that case police give final form in favour of petitioner.

PARA-13
Ann- 2 That in Murliganj Police Saation Case No.142 of 2007 is concerned, Informant Keshav Yadav and Narayan Yadav entered into house of one Dalit Mahila and petitioner is no where in picture and final form submitted in favour of petitioner.

PARA-14 In Banmankhi Police Station Case No.59 of 2008 Police also submitted final form in favour of petitioner.

(111)

- PARA-15 That so far Police Station Case No.247 of 2009 is concerned, neither petitioner named in First Information Report nor in subsequent statement and till date Police submitted charge sheet against the petitioner.
- PARA-17 Petitioner is the President of Youth Congress since last two occasion and presently he is President of Youth Congress.
- PARA-18 That one Milan Devi wife of Siya Ram Yadav was the Chairman of District Board, Madhepura and her husband Siya Ram Yadav is the President of Janta Dal United, Madhepura and on 3.1.2014 the mother of the petitioner namely Manju Devi defeated the said Milan Devi from the post of Chairman and due to annoyance and political motivation inclusion, Police named petitioner.
- PARA-19
Ann- 3 Petitioner deposited his Arms to the Authorized Gun house on 28.3.2014.
- PARA-20 That mother of the petitioner defeated Milan Devi from the post of Chairman District Board, on 3.1.2014 who is husband of Siya Ram Yadav, President Janta Dal United (Ruling Party).
- PARA-21
Ann- 4 The District Magistrate, Madhepura issued show cause Notice to petitioner on 29.3.2014 and directed to file reply on 1.4.2014.
- PARA-22
Ann- 5 Petitioner filed detailed show cause before District Magistrate, Madhepura.
- PARA-23
Ann- 6 On same day i.e. on 1.4.2014, the District Magistrate, Madhepura passed impugned order hurriedly.

(iv)

PARA-24 Petitioner is a law abiding citizen.

PARA-25 District Magistrate, Madhepura with collusion of
President Ruling party, Passed the impugned order.

PARA-28 Petitioner comes from a respectable family and grand
father was Freedom Fighter, Father retired from Secretary
Marketing Board, presently Chairman of District Board,
Madhepura.

PARA-30 That till date no any learned Court below have passed
the any order against the petitioner.

- Hence the Present Writ application.

.....

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT. 1
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2673



भारत
INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. ≈ 0000535 ≈ -7.4.2014

375455

Zero*Zero*Zero*Zero*Five*ThreeFive*

बिहार
JUDICIAL

BIHAR

7188 6258185

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Criminal Writ Jurisdiction)

Cr.WJC No.-..... of 2014

In the matter of an
application under
Article 226 & 227 of
the Constitution of
India.

And

In the matter of

Shwet Kamal @ Bowa Ji, Son of Prakash Yadav @ Prakash
Narayan Yadav, Resident of Village.- Haripurkala,
P.S.-Murliganj, District- Madhepura.Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary,
Department of Home, Patna.
2. The District Magistrate, Madhepura.

3. The Superintendent of Police, Madhepura.

.....Respondents

To

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioners above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That petitioner sought following reliefs:-
 - i) for issuance of an appropriate writ in the nature of certiorari for quashing of order dated 01.04.2014 passed by the District Magistrate, Madhepura in B.C.C.A. case no.-25/2014 where by the petitioner was directed to leave 13 Madhepura Parliamentary constituency election w.e.f. 04.04.2014 till completing all the processes for election B.C.C.A. Act U/s 3(3a) of 1981 of the

Act till 30.04.2014 under Waishi Police station under district-Kishanganj and also give his attendance physically everyday at 10am to 12am.

ii) for issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing order dated 29.03.2014 through which the notice has been given on the basis of the Superintendent of Police, Madhepura on ironious and incorrect grounds with malafied intension on the basis of the false and fabricated cases of the year 2007 and 2008 and in most of the cases petitioner was not charge sheeted and police gave final form in favour of the petitioner.

iii) for issuance of an appropriate writ in the nature of mandamous direction to the respondents to withdraw/cancel the order of the District Magistrate, Madhepura on the false and motivated claim dated 04.01.2014 only on mere suspicion form the Hon'ble High Court.

2. That petitioner is citizen of Indian and lives within territorial jurisdiction of this court.

3. That petitioner is permanent resident of village Haripurkala police station-Murliganj, district-Madhepura.
4. That petitioner is a disciplined, honest, lawful person and law abiding citizen since his school time and never dare to commit any crime.
5. That petitioner comes from the respected family and his grandfather is freedom fighter during British period and father of the petitioner was the Marketing Secretary of Agriculture Marketing Board who just retired.
6. That no one in the family member of the petitioner is criminal background/history and mother of the petitioner is chairman District Board, Madhepura and the sister-in-law of the petitioner is Chairman Nagar Panchayat, Murliganj.
7. That mere seeing the background of the petitioner it transfixes that petitioner belongs the reputed family of political background and work for upliftment of the poor and weaker section and

hence without any pressure the local people elected/selected the mother as Chairman Zila Parishad, Madhepura and her sister-in-law(Bhabhi) is presently Chairman Nagar Panchayat, Murliganj.

8. That all the allegation labelled against the petitioner under Kandika(Kh) and under the Indian Penal Code in Chapter 16 & 17 is not made out against the petitioner since petitioner was never a criminal nor he is a criminal only on mere suspicion and due to political rivalry false and fabricated cases has been filed against the petitioner which has no any basis.
9. That it is also alleged by the District Magistrate, Madhepura due to activity of the petitioner the life and property of the locality is in danger but no any person came forward to complain anything against the petitioner before the Learned District Magistrate or any officials of the district.
10. That so far it relates to Murliganj police station case no.-10/2008 the informant is Manoj

Yadav, who is a veteran criminal of the Madhepura district and also close associate of the Buchan Yadav veteran criminal who is at present in jail. For which the case has been lodged by the Murliganj police vide Murliganj police station case no.-08/2007 and not only that also cases has been lodged against him in Kairzain (Supaul) police station case no.-18/20005 in earlier under Arms Act and same is pending for final disposal in the Learned court below in which there was specific allegation against said Manoj Yadav who arrested by the police and illegal arms has been recovered from the possession of the said Manoj Yadav and the family members of the petitioner also lodged Counter case against said Manoj Yadav bearing police station case no.-11/2008 and not only that there are other cases also pending against said Manoj Yadav who is informant in Murliganj police station case no.-10/2008.

11. That so far Murliganj police station case no.-60/2007 is concern is under section 147,148,353,341,342/504 of the Indian Penal Code

and in the said case informant Rabindra Paswan who is the Chowkidaar Murliganj Police station filed the petition on affidavit before learned court below that petitioner is no where in the picture. In the aforesaid case namely Murliganj police station case no.-60/2007 which will be verified from the Learned Court below and petitioner is also ready to produce same before Hon'ble High Court.

A true copy of case bearing Murliganj police station case no.-60/2007 filed by the informant before learned court below is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this application.

12. That so far it related to Murliganj police station case no.-128/2007 petitioner respectfully submitted that prior to filing of the aforesaid case

bearing police station case no.-128/2007 Cousin brother(Mamera Bhai) of the petitioner lodged against the informant Guddu Yadav who is a veteran criminal of the locality who filed the case, he named the accused in Murliganj police station case no.-128/2007 in this case police has filed final form in favour of the petitioner and against informant Guddu Yadav who filed this case police found evidence against him and not only that earlier there were so many cases pending before him.

13. That it is respectfully submitted that so far it relates to Murliganj police station case no.-142/2007 the informant Keshav Yadav and one Narayan Yadav who forcibly entered into the house of the dalit women namely Nirmala Devi against Narayan Yadav in which case Narayan Yadav went to jail and due to political rivalry name of the petitioner has been tagged in Murliganj police station case no.-142/2007 under section 147,148,149,141,323,325,379/504 of the Indian Penal Code and the Superintendent of Police found petitioner is innocent and not only that other person is also been innocent and in that case informant

Narayan Yadav falsely filed present case-42/2007 against the petitioner.

A true copy of the final form is annexed here with and marked as Annexure-2 to this application

14. That so far Banmankhi police station case no.-59/2008 under section 25(B0A/26/35/30 of the arms act and on the direction of Higher police authority the police submitted final form in favour of the petitioner.

15. That so far Madhepura police station case no.-247/2009 is concerned neither petitioner named in the First Information Report nor the police submitted any report against the petitioner which clearly falsify that petitioner name in the Madhepura police station case no.-247/2009 is incorrect and with intension to tag the name of the petitioner in the present case and the police not submitted any allegation against the petitioner in that case.

16. That mere seeing this case referred by the District Magistrate, Madhepura is wrong, incorrect and not any accordance with law and only to lower down the prestige of the petitioner in the society.

17. That since petitioner is the president of the Youth Congress since last 2 occasions and presently also he is president of the Youth congress and only to take revenge due to political rivalry the District Magistrate and Superintendant of Police have named the petitioner in the list of Zila Badar of Madhepura district with no fault of his.

18. That on Milan Devi wife of Siya Ram Yadav was the Chairamn of the District Board, Madhepura and her husband namely Siya Ram Yadav was the president of Janta -Dal United, Madhepura and on 03.01.2014 the mother of the petitioner namely Manju Devi defeated the said Milan Devi wife of siya Ram Yadav who was earlier Chairamn of the District Board, Madhepura and due to this annoyance and political motivated inclusion of District Magistrate and Superintendant

of Police named the petitioner in the list of Zila Badar so that petitioner not work for his party.

19. That on 28.03.2014 the petitioner deposited his arms namely Rifle and Revolver to Bihar Gun House which is the authorised shop of the District Magistrate, Madhepura so moto and like good citizen without any giving letter or information petitioner deposited the aforesaid arms in the said gun house and in this connection also deposited Rs.500 also.

A true copy of the deposit certificate dated 28.03.2014 is annexed here with and marked as Annexure-3 to this application.

20. That as and when it came to knowledge of the husband of the said Milan Devi who was defeated by my mother on the post of Chairman District Board on 03.01.2014 informed her husband and consulted Superintendant of Police on same very day that as on 28.03.2014 and false report has been submitted by the

Superintendent of Police Madhepura alleging against the petitioner that petitioner is anti social element and involved in so many cases and can disturb the coming parliamentary election 2014 which will be held on 30th April 2014.

21. That on 29.03.2014 the false and collusive report of the Superintendent of Police, Madhepura the District Magistrate Madhepura issued the Show Cause notice to the petitioner on 29.03.2014 alleging therein that he was involved in so many cases and also some cases are pending against him although most of the cases police have submitted final form but due to intensional politically motivated asked Show Cause and directed to reply the same on latest by 01.04.2014.

A true copy of the letter dated 29.03.2014 is annexed here with and marked as Annexure-4 to this application.

22. That on 01.04.2014 petitioner filed detailed Show Cause before District Magistrate, Madhepura in B.C.C.A. Case no.-25/2014 State Versus Shwet Kamal and reply in detail parawise in each and every police station case number which has been mentioned in the aforesaid Show Cause dated 29.03.2014.

A true copy of the Show Cause reply dated 01.04.2014 is annexed here with and marked as Annexure-5 to this application.

23. That on same very day Collector/ District Magistrate Madhepura with bad and collusive view same dated without considering the Show Cause of the petitioner filed and rejected the Show Cause vide its order dated 01.04.2014 stating there in that w.e.f 04.04.2014 he will be Zila Badar and appear before Waishi police station for his attendance daily at 10 am to 12 am.

A true copy of the order passed by the District Magistrate, Madhepura dated 01.04.2014 is annexed here with and marked as Annexure-6 to this application.

24. That like a law abiding citizen petitioner deposited his arms on 28.03.2014 since date of election of Parliament was announced for voting for Madhepura Constituency on 03.04.2014.

25. That the District Magistrate with collusion of the District President namely Siya Ram Yadav president of the Janta Dal United who running the theatre company presently and obliges the Higher Officials and other political members and on the direction of the presently member of Parliament the District Magistrate passed the impugned order on ironious ground which in not tenable in the eye of law.

26. That petitioner is law abiding citizen and presently he is the president of the Youth Congress and also elected member of Murliganj Nagar Panchayat and doing his duty honestly and regularly.

27. That if the petitioner was anti-social element as alleged by the District Magistrate, Madhepura there after 20.07.2008 petitioner was not involved in any criminal activity /case which clearly shows that if petitioner was criminal minded then he should be involved in so many cases during the span of last 6 years.

28. That for ends of justice petitioner respectfully submits that he comes from respectable family of the society and no any member of his family was facing any criminal case or indulge in any criminal activity and he belongs to the freedom fighter family and only to take revenge and lower down the prestige in the society present zila Badar order dated 01.04.2014 has been passed and same should be quashed from this Hon'ble High Court.

29. That petitioner is also the candidate of Bihariganj Assembly election, 2015 and due to this Zila Badar order passed by the collector the face of the petitioner have been wrongly typed in the coming assembly election 2015 so that he may not win the election.

30. That it is also respectfully submitted that till date no any Learned court below have passed any order against the petitioner regarding any criminal activity and they found guilty to the petitioner which clearly shows that petitioner is no where in the picture and only with the political rivalry the name of the petitioner has been tagged in the zila badar category.

31. That aforesaid impugned order (Annexure-6) dated- 01.04.2014 passed by the District Magistrate Madhepura is arbitrary, mallafied and without considering the case of the petitioner and reply given by him and only biased and collusive has been passed by the District Magistrate, Madhepura.

32. That he also respectfully submitted that only on 2-3 days i.e., 29.03.2014 to 01.04.2014 whole episode have been concluded by the District Magistrate hurriedly so that petitioner removed from the Madhepura district in the name of zila badar which clearly shows how the District Magistrate is interested in this case only to please higher politician.

34. That petitioner undertakes that he will be released from zila badar he will undertake that if he was found in criminal activity the same order can be withdrawn from Hon'ble High Court.

35. That if the petitioner will not be released from the zila badar category his whole career will be ruined for no fault of his.

36. That petitioner has no any other efficacious and alternative remedy other than by way of this writ application.

37. That the petitioner have not moved earlier before this Hon'ble High Court for the relief prayed in Para-1 of the application.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application issue Rule NISI calling upon the respondent and after hearing the parties be pleased to allow this application and grant relief as prayed in Para-1 of this application.

And/or

During pendency of this application stay the impugned order.

And/or

Pass such other order/ orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the Petitioner shall ever pray.


AFFIDAVIT

I, Shwet Kamal @ Bowa Ji, aged about 31 years, Son of Prakash Yadav @ Prakash Narayan Yadav, Resident of Village.- Haripurkala, P.S.-Murliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

- 1 That I am petitioner in this case and well acquainted with the facts and circumstances of the case.
- 2 That the contents of this petition have been read over and explained to me which I have fully understood under stood the same and the statements made there in Para are true to knowledge and those made in Para are based upon information derived from records the case which I believe to be true and rest are by way submission to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/ photo copies of their respective originals.

507-15007-1507-5115-07

11507



4/11/50
11-5-07

न्यायालय में,

मुख्य न्यायिक तण्डाधिकारी,
मधेपुरा ।


प्रति : मुरलीगंज थाना कांड संख्या- 60/07

राज्य वज रिये चौकीदार 1/7 रविन्द्र पासवान सूचना
बनाम

श्वेत कमल उर्फ बीआ जी वगैरह अभियुक्तगण

दरखास्त और ते सूचक चौकीदार 1/7
रविन्द्र पासवान पे 0 स्व 0 अनारखन्द
पासवान ग्राम- मुरलीगंज वार्ड सं. 14
थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा त त त
कर निम्न प्रकार तादर निवेदन करते हैं :-

1. कि सूचक स्थानीय मुरलीगंज थाना में ~~सूचक~~ चौकीदार के रूप में प्रतिनिष्ठ हैं ।
2. कि दिनांक 4.5.07 ~~शुक्रवार~~ को कुछ लोग स्थानीय थाना में आकर पूना दिये कि मुरलीगंज ग्राम के पंचगलिया ~~वार्ड~~ में महेन्द्र यादव वगैरह कुछ महिला एवं अन्य को बुरी तरह मार-पीट कर रहे हैं । बिहार कानून में तुरंत किसी प्रकार की पहल नहीं हुई तो बड़े लोग थाना से बाहर निकलकर विरोध करने लगे तथा वरीय पंचगलिया से सम्पर्क करने के लिए वे लोग जा रहे हैं । विरोध के कारण काफी लोग सुटने लगे जिसे कारण सुभाकर स्थानीय लोग परांत करा दिये । कुछ लोग थाना को बाजार से करीब एक डेढ़ कि.मी. पश्चिम में पुलिस पर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध धरना पर बैठने का प्रयास करने लगे ।
3. कि पुलिस प्रशासन के विरुद्ध विरोध करने वाले लोग प्रकट करने वाले एवं धरना पर बैठने वालों की टोहारी करने वाले में मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना ।
4. कि दिनांक 4.5.07 को शाम 7 बजे या 8 बजे



20-00
11-5-07
Rajiv
11/5/11
Rajiv

समय व्यक्ति के समूह में बैगा धार पुल या किसी अन्य जगह पर धरना लेकर यातायात अवरुद्ध नहीं किया था।

5. कि सूचक थाना के कनीय सदस्य हैं वो थाना के पदाधिकारीगण के अन्दर काम करने वाले करीब व्यक्ति हैं जिस कारण से सूचक के प्रसंग में अंकित कांड के फर्दवयान लिखने वाले पुलिस पदाधिकारी श्री एस.एस. गुप्ता द्वारा लिखे गये आवेदन [फर्दवयान] पर अपना हस्ताक्षर स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण के कहने पर बनाया है।

6. कि सचवाई यह है कि घटना की तिथि 4.5.07 को कुछ व्यक्तियों का समूह पंचगढिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक परिवार के महिला एवं सदस्य के साथ लिखे जा रहे मार-पीट से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया था और उसमें शिथिलता बरतने और विलम्ब करने के कारण शोभा परिवार के वास्तु विरोध प्रकट कर रहा था। उक्त विरोध करने वाले व्यक्तियों को भी भी नहीं पहचाना।

7. कि सूचक को अब यह जानकारी हुई कि कुछ लोगों के नाम विरोध प्रकट करने वाले या हस्तक्षर धरना देने वाले व्यक्तियों के नाम नाम फर्दवयान दर्ज करने वाले पदाधिकारी द्वारा दिया गया है कि उक्त पदाधिकारी द्वारा कहा गया तो सूचक सचवाई रखने के लिए प्रस्तुत आवेदन अंकित कर रहा है।

8. कि सूचक प्रस्तुत आवेदन सिना सिरी लोय प्रशासनिक क्विती स्थाय के स्वेच्छा से साखिल कर रहा है और आवेदन के तर्जिमें प्रस्ताव पत्र भी तामिल कर रहा है।


नोट: प्रस्ताव है कि उक्त आवेदन को अतिरिक्त में प्रस्ताव की जाय।

सूचक

20/05/07 21/05/07

उत्तर
Suresh Kumar
अधिकारी

11-5-2007



20
अ ने क्वर - *Genit*

न्यायालयमे,

मुख्य न्यायिक अधिकारी

मधेपुरा ।

पु संग :- मुरली गंज थाना कांड संख्या 60/07

राज्य वजीरये चौकीदार 1/7 रीवन्द्र पासवान सूचक

बनाम

श्वेत कमल उर्फ ओआ जी बगैरह अभियुक्त गणा

दरखास्त ओसे सूचक चौकीदार 1/7

रीवन्द्र पासवान पे० स्व० अनारखंद

पासवान ग्राम मुरली गंज, वार्ड सं० 14

थाना मुरली गंज, जिलामधेपुरा दाखिल कर

निम्न प्रकार सादर निवेदन करते है :-

1. मैं कि सूचक स्थानीय मुरली गंज थाना मे चौकीदार के रूप मे प्रति प्रेषित

नियुक्ति है।

2. कि दिनांक 4.5.07 को १ शुक्रवार १ को कुछ लोग स्थानीय

थाना मे सफर आकर सूचना दिये कि मुरली गंज ग्राम के गंजगीछ्या

गाँव मे महेन्द्र पादव बगैरह कुछ महिला सँ अन्य को बुरी तरह से मार

पीट

2.

मार पीट कर रहे है, जिसपर बघाव में तुरंत किसी प्रकार की पहल नहीं हुई तो आये लोग थाना से बाहर निकल कर विरोध करने लगे तथा वरीय पदाधिकारीसे सम्पर्क केलिए वे लोग जा रहे है विरोध के कारण काफी सगू लोग छुटने लगे फिर समझ बुझकर स्थानीय लोग शान्तकरा दिये फिर भी कुछ लोग थाना वी बाजार से करीब डेट कि० मी० पश्चिम आष्टमर पुलिसप्रशासन के विरुद्ध धरना पर बैठने का प्रयास करने लगे।

3. कि पुलिसप्रशासन के विरुद्ध विरोध करनेवाले लोग प्रकट करनेवाले एवं घटबग धरना पर बैठने वाले की तैयार करनेवाले में मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना ।

4. यह कि दिनांक 4.5.07 को शाम 7 बजे था ^{किसी} फिर भी समय व्यक्ति के समुह में ~~गंगा धार~~ धार पुलकिस किसी अन्य जगह पर धरना देकर याता यात अवरुद्ध नहीं किया था ।

5. श्रीक सूचक थाना के क्लीय सदस्य है वो थाना के पदाधिकारी गण के अंदर काम करते वाले ~~है~~ करीब व्यक्ति है जिसकारण से सूचक में प्रसंग में अंकित कांड के पर्दे-ब्यान लिखने वाले पुलिस पदाधिकारी श्री एस. एन. गुप्ता द्वारा लिखे गये आवेदन ~~॥~~ पर्दे-ब्यान ~~॥~~ पर अपना हस्ताक्षर स्थानीय पुलिस पदाधिकारी गण के कहने पर बनाया है।

6. कि सच्चाई यह है कि धरना की तिथि 4.5.07 को कुछ

व्यक्तियों का समूह संघगठित था मे कुछ व्यक्तियों द्वारा एक परिवार के महिला एवं सदस्य के साथ किये जा रहे मार पट्ट पीट से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया* है था और उसमें शिथिलता बरतने और विह्वल करने के कारण थाना परिसर के बाहरी विरोध प्रकट कर रहा था। इस विरोध करनेवाले व्यक्तियों को भी* मने नहीं पहचाना ।


7. कि सूचक/को जब बाद में जानकारी हुई कि कुछ लोगों का नाम विरोध करनेवाले या धरना देने वाले व्यक्तियों का नाम कर्दब्यान दर्ज करने वाले पदाधिकारी द्वारा दिया गया है, मेरा हस्ताक्षर कराया गया तो सूचक सफाई रखने के लिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल कर रहा है।

8. यह कि सूचक प्रस्तुत आवेदन बिना किसी लोच किसी दवाव के स्वेच्छा से दाखिल कर रहा है और ओर आवेदन के समर्थन में इतर प्रशापक पत्र तामिल कर रहा है।

अतः प्रार्थना है कि इस आवेदन को अभिलेख के संलग्न की जाय ।

सूचक
रीवन्द्र कुमार प त्तवान

11507 - 11508 - 11509 - 11510



11507

न्यायालय में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
मधेपुरा ।

4/2/1A
11.5.07



प्रति : मुरलीगंज थाना कांड संख्या- 69/07
राज्य वजारी रविन्द्र पासवान सूब
बनाम

11-5-07 अश्वेत कमल उर्फ बोआ जी वगैरह अभिभूतारथ

शपथ-पत्र
=====

मैं, रविन्द्र पासवान, चौकीदार 1/7 उम्र करीब 25 वर्ष पे0 स्व0 अनारक्षित पासवान ग्राम-मुरलीगंज वार्ड नं. 14 थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा ईश्वर के नाम पर शपथ पूर्वक निम्न वधान करता हूँ :-

1. कि प्रसंग में अंकित कांड श्री एस. एन. गुप्ता द्वारा मुरलीगंज थाना द्वारा लिखने के बाद मुझे हस्ताक्षर करा कि
2. कि फर्दवधान पढ़कर कदापि नहीं सुनाया गया था ।
3. कि मैंने दिनांक 4.5.07 शुकवार के शाम में किसी व्यक्ति को मुरलीगंज बेंगा पुल पर धरना पर बैठे हुए या नारे लगाते हुए नहीं देखा था और घी न पहचाना था ।
4. कि मुझे निजी जानकारी है कि दिनांक 4.5.07 को पंचगढिया टोला से कुछ लोग आकर थाना में सूचना दिये थे कि कुछ लोग एक परिवार के महिला वगैरह को मार पीट कर रहा है, प्रशासन चलकर बचावें ।
5. कि उस सूचना पर थाना प्रशासन द्वारा तुरंत बचाने नहीं जाने पर जो कुछ लोग सूचना देने आये थे वो लोग थाना परिवार से निकलकर बाहर में प्रशासन के विरुद्ध रोष धी विरोध प्रकट कर रहे थे ।
6. कि दिनांक 4.5.07 को मुरलीगंज थाना परिवार को थाना से काफी दूर पश्चिम में बेंगा धार पुल पर 7.00 बजे किसी की मध्य धरना या नारेबाजी नहीं की गई थी ।



48
11/5/07

11/5/07 - 11/5/07 - 11/5/07 - 11/5/07

11/5/07

-2-

7. कि मैंने आज ही एक आवेदन न्यायालय में दायित्व लिया है जिसमें लिखी गयी सारी बातें सत्य हैं।

8. कि मैं अपना वयान स्वेच्छा से बिना किसी जबरन प्रलोभन को बिना किसी तबाय के दे रहा हूँ।

मैं रविन्द्र पासवान ईवड के नाम पर ककराट करता हूँ कि इस शपथ पत्र में दर्ज बातों को मैंने स्वयं पढ़कर समझ लिया और मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया।

अभिज्ञाधी


रविन्द्र पासवान

अभिज्ञाधी ने इस शपथ पत्र में दर्ज बातों को स्वयं पढ़ लिया है तथा यहाँ भी पढ़कर सुना दिया है, जिसे ठीक पाकर अभिज्ञाधी ने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है। मैं अभिज्ञाधी को पहचानता हूँ।

यह पत्र श्री... के द्वारा...
11/5/07

11/5/07

Sanjay Kumar
Adv.
C-11/5/07



Handwritten signature and date 11/5/07.

Handwritten signature and date 11/5/07.

आ. नंबर - ३७१२

न्यायालय में,

श्री मान मुख्य न्यायिक ईडाधिकारी

मधेपुरा ।

प्रसंग:- मुरली गंज थाना कांडसंख्या 60/07

राजा बजरंग रविन्द्र पासवान सूचक

बनाम

श्वेत कमल उर्फ बौआ जी बौरह अशुक्त गण

शापथपत्र

में, रविन्द्र पासवान, चौकीदार

1/7 उम्र करीब 25 वर्ष पेट स्व०

अभारखंड पासवान ग्राम मुरली गंज वार्ड

नं० 14 थाना मुरली गंज जिला मधेपुरा झखर

के नामपर शापथ पूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ

1. कि प्रसंग में अंकित कार्ड श्री. एन. सुप्तमुरली, गंज थाना द्वारा लिखने के बाद मुझसे हस्ताक्षर करा दिया गया
2. कि फर्द ब्यान पढ़कर कदापि नहीं सुनाया गया था
3. कि मैंने दिनांक 4.5.07 शुक्रवार को शाम में किसी व्यक्ति को मुरली गंज गंगा पुल पर धरना पर बैठे हुए या नारा लगाते हुए नहीं देखा

24

था और वोन पहचाना था।

4. मेक मुझे निजी जानकारी हेतु दिनांक 4.5.07 को चंगीठिया टोलसे कुछ लोग आकर थानामे सूचना दिये थी कि कुछलोग एक परिवार के मीहला बगैरह को मार पीट कर रहा है, प्रशासन चलकर बचावे।

5. कि उस सूचना पर थाना प्रशासन द्वारा ^{विरत} ~~सुरत~~ बचाने नहीजाने जो कुछ लोग सूचना देनेआये थे वो महु लोग थाना परिसर से निकलकर बाहरमे प्रशासन के विस्डरोध को विरोध प्रकट कर रहे थे।

6. कि दिनांक 4.5.07 को सुरती मंज थाना परिसर को बाजारसे काफी दुर पश्चिम मे हिंगा धार पुलपर 7.00 बजेशाम मे किसी भी समय घरना यान रेबाजी नहीकी गइ थी।

7. कि मैने आज ही एकआवेदन न्यायालय मेदाखल किया जिसमे लिखी गइ सारी बाते सत्य है।

8. कि मै अपना ब्यान स्वेच्छा से बिना किसी लोभ प्रलोभन को बिना किसीदवाव के दे रहा हूँ।

मै रीविन्द्र पासवान इश्वर के नामपर स्करार करता हूँ।

कि इस शपथ पत्रमे दल सभी बातों को मैने स्वयं पढकर सक्क लिया और सहीपाकर अपना हस्ताक्षर करीदया ।

आभिसाक्षी

रीविन्द्र कुमार पासवान

25

3.

अभिसाही ने इस शपथ पत्रमे द्ये बातो को स्वयं पढ लिया है
तथा यहाँ भी पढकर सुना दिया है जिसे ठिक पाकर अभिसाही
के मेरे सामने हस्ताक्षर किया है। केअभिसाही को पहचानता हूँ।

ह0असपष्ट

अधिपक्ता

11.5.2007

2754
9.5.08

21.5.08 Annexure 2
21.5.08 3.6.08
श्री प्रदीप कुमार शर्मा
भद्रकान्ता दयाल शर्मा
जी० नं०- 1245/07
राजम'ल नाम भनमोक्त जादल शर्मा

26
3.6.08
26

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 122 अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट
आ० सं० प्रपत्र सं० 32 G.R. 1245/07 (FINAL FORM / REPORT)
(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)
माननीय न्यायाधीशों के न्यायालय में
(In the court of)

1. *जिला 21.5.08 *थाना 21.5.08 *वर्ष 2007 *प्राथमिकी सं० 122/07 *तिथि 7.10.07
(P.S.) (Year) (FIR No.) (Date)
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० 27/08 (Final Report/Charge Sheet No.)
3. *तारीख 22/3/08 (DATED)
4. [1] *अधिनियम (Act) 21.5.08
[2] *अधिनियम (Act)
[3] *अधिनियम (Act)
[4] *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts & Sections)
5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :- आरोप पत्र/साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-सोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपसासित किया गया/अंतिम रिपोर्ट-नहीं घटित हुई।
(Type of Final Form/Report :- Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/ FRT Unoccured/FRT offence abated/FR Unoccured)
6. *यदि अं रिपोर्ट अशुद्धि हो :- मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंज्ञेय/दीवानी प्रकृति का
(If E. R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nature.)
7. *यदि आरोप पत्र से जो मूल/अनुपूरक
(If Charge-sheet Original/Supplementary)
8. अनुसंधान पदाधिकारी का नाम राजम'ल शर्मा पदनाम पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा
(Name of I. O.) (Rank) (No.)
9. [क] परिचालक/सूचनादाता का नाम केशव कुमार शर्मा
[ख] पिता का/पति का नाम राजम'ल शर्मा द्वारा राजम'ल शर्मा द्वारा
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिनपर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	सम्पत्ति का वर्णन	प्राप्तकालित मूल्य (रुपये में)	थाना का सम्पत्ति रजिस्टर सं०	गिरासे/कहां बरामद या जप्त की गयी	निपटारा
1	2	3	4	5	6

CF68-68
3/6/08

13. उन साक्षियों की विविधियां जिनकी परीक्षा की जाएगी। (3)

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमान कुमा...	श्रीमान...
2	श्रीमान...	श्रीमान...
3	श्रीमान...	श्रीमान...
4	श्रीमान...	श्रीमान...
5	श्रीमान...	श्रीमान...
6	श्रीमान...	श्रीमान...
7	श्रीमान...	श्रीमान...
8	श्रीमान...	श्रीमान...
9	श्रीमान...	श्रीमान...
10	श्रीमान...	श्रीमान...
11	श्रीमान...	श्रीमान...
12	श्रीमान...	श्रीमान...

14. यदि साक्ष्य की मित्य हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182/211 के अधीन की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित करिवाह की उल्लेख करें।

15. प्रयोगशाला विवेचन का परिणाम

16. *केस से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें।)
(Brief Facts of the Case) [Add separate Sheet if necessary]



अनेक सचर-2

अंतिम प्रपत्र/ रिपोर्ट

§ दंड 90 स0की धारा 173/174 के अधीन§

1- जिला मधुपुरा थाना मुस्ली गंज वर्ड 2007 प्रार्थ0 सं0 142/07

तिथि 7.10.07

आरोप पत्र संख्या 27/08 तिथि 22.3.08

अधिनियम- भाग 40 वि0 धाराएं 147, 148, 149, 341, 323, 325

अधिनियम-— धाराएं 379, 504

अनुमानित पदा0 का नाम अब्दुल गफ्फार खाँ पदनाम पुलिस अवर निरीक्षक
मुस्लीगंज थाना

परिवादी/ सूचनादाता का नाम के.व. कुमार यादव पिता नारायण दास
सा0 हरिपुर क्ला थाना मुस्लीगंज जिला मधुपुरा।

11- आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विविधता

1- नाम 1- अनमोल यादव पे0 उपेन्द्र यादव 2- बजेन्द्र यादव पिता-

कमल यादव 3- भास्कर पासवान पे0 नामो पासवान 4- जगदीश पासवान

पे0 स्व0 अनुस पासवान 5- अशोक पासवान पे0 जगदीश

पासवान 6- सरोज यादव पे0 प्रकाश यादव स० सा0 हरिपुर क्ला थाना
मुस्लीगंज जिला मधुपुरा।

जमानत पर रिहा होने की तिथि सू० वि० अधि० न्यायालय में आत्मसमर्पण
कर जमानत पर मुक्त है।

किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन 147, 148, 149, 323, 325,
377, 341, 504, भाग 40 वि०

अभियुक्त व्यक्तियों की विवरणियाँ जो आरोप पत्रित नहीं-

- 1- नाम 1- बबुआ यादव पिता प्रकाश ना० यादव 2- पंचम गुप्ता
- पे० स्व० राम प्रसाद गुप्ता 3- अरूण यादव पे० स्व० कर्मलाल यकल गुप्ता
- 4- नाको पासवान पे० स्व० अनुप पासवान सभा सा० हरिपुर क्ला 5-
- पिटू यादव पे० अस्पट यादव सा० दिग्धी सभा ाना मुस्लीगज जिला-
- मधोपुरा।

यह कांड घादी के फरिश्तानके आधार पर नामजद अभियुक्त बबुआ यादव
पिटू यादव पंचम गुप्ता अरूण यादव अनमोल यादव उपेन्द्र यादव जगदीश
पासवान निरकरकि नाथो पासवान अशोक पासवान भारत पासवान एवं
5-7 अज्ञात के किं धाटनाके दिन वो समय दिनांक 7.10.07 को करीब
9.30 बजे दिन में नाजायज मजमा बनाकर लाठी डंडा से लेशाहोकर
इनके पिता नारायण दास को घोर कर वो छादेड कर लाठी डंडा से मार पटि
कर जखमी करने एवं पूर्व सध्या में रूपये मोवाइल धाडी ले लेने के
आरोप हैं ले लेने के आरोप में अंक्ति कियागया है।

धाटना स्थल के निरीक्षण गवाहो के बयान जखम जांच प्रतीवेदन
पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान के क्रम में धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325

379 504 भाग ६० वि० के अन्तर्गत प्राध्या० के नामजद अभि० अनमोल यादव उपेन्द्र यादव जगदीश पासवान अशोक पासवान भास्त पासवान एवं अज्ञात अभि० सरोज यादव के विरुद्ध सत्य पाया गया और आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अन्य दोषी नामजद अभि० बबुआ यादव पिपुट्ट यादव अरुण यादव पंचम गुप्ता एवं नाथो पासवान एवं अन्यके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ दोषी नहीं पाये गये कांड के अनुसंधान पूर्ण है तथा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रायः पूर्ण है। पुलिस निरीक्षक महोदय इस कांड में पर्यवेक्षण में सत्य पाये गये ~~कठकठे~~ धाराओं के अंतर्गत सत्य पाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दये है अतः इस कांड में आदेशानुसार धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 379, 504, भाग ६० वि० के अंतर्गत प्राध्या० के नामजद अभि० 1- ~~कठकठे~~ अनमोल यादव पे० उपेन्द्र यादव 2- उपेन्द्र यादव पे० कमल यादव 3- भास्त पासवान पे० नाथो पासवान 4- जगदीश पासवान पे० स्व० अनुप पासवान 5- अशोक पासवान पे० जगदीश पासवान एवं अन्य अभि० 6- सरोज यादव पे० प्रकाश यादव सती सा० हीरपुर क्ला धाना मुस्लीमज जिला मधोपुरा के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करता है।

EO/- अस्तु

प० अ० नि० मुस्लीमज धाना

22.3.08

Tin- 10480611090
C.S.T.-10480611187

L. No.- 02/2002

BIHAR GUN HOUSE

Arms & Ammunition Dealers
Purani I.B. Road, Ward No.-13, Madhepura-852113

No. 1

Date 28/3/2014

Deposit Safe Custody 21/ under Section 21

Received for deposit from Shri श्वेत कर्मल पिता श्री प्रकाश

राजभाद्र 975N-2-हीलेमकोठ-पानना+जि० मधेपुरा

the following arms and ammunition, belonging to Shri श्वेत कर्मल पिता श्री

प्रकाश राजभाद्र 975N-2-हीलेमकोठ-पानना+जि० मधेपुरा

holder of licence No. रा.म.म.०६/२००५ issued by the District Magistrate/S.D.O. of दिवान्तर ०७/२००५

Details of Arms and Ammunition :

① रा.म.म. ३१५ कोरि-०-FN-13390-

२- दिवान्तर-३२ कोरि 10.F.N-FN-07064

vide deposit Register Serial No. ३७ dated 28/3/2014

Deposited for Safe Keeping, maintenance & disposal by Sale _____

Date when due for return/ for feiture _____

Rate of Charge : Rs. 500/- per month.

Note :- If the depositor of the arms, either he be the licence or his agent, will not pay the deposit charge regularly at every three months (accountable from the date of deposit) the company will have every right to dispose of the weapon by sale without any notice.

Shwet Karanlal

श्वेत कर्मल साहू
Yours faithfully- 28/3/2014

For BIHAR GUN HOUSE
Madhepura

Signature of Depositor

Date 28/03/14 Time 11:00 AM

न्यायालय, समारोह एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

बी.सी.सी.ए. वां. सं०.....25...../2014

राज्य बनाम श्वेत कमल उर्फ बौआजी पे० प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव
(फार्म-1)

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अंतर्गत नोटिस
(देखें नियम-4)

मुझे उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि-

- क- अपराधकर्मी श्वेत कमल उर्फ बौआजी पे० प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव सा० हरिपुर कला, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा एक कुख्यात एवं दबंग प्रवृत्ति के अपराधी है। इनके आपराधिक कुकृत्यों से लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये अपने अपराधी सहयोगियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य कायम किये हुए हैं जिस कारण आम लोगों में भय व्याप्त है। 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 के अवसर पर अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने हेतु ये अपने साथियों के साथ घुम-घुम कर जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण मतदाताओं में एक विशेष प्रकार का डर बनी रहने की आशंका है। इसकी पूरी संभावना है कि ये मतदान के समय अपने साथियों के साथ मिलकर बूथ लूटने का कार्य कर सकते हैं।
- ख- ये आदतन अपराधी हैं और संगीन अपराध करने के आदी हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय है।
- ग- मधेपुरा जिले में इनके गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है और ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। यह भी आशंका है कि आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।
- कठिका (क), (ख) एवं (ग) में लगाये गये आरोपों के संबंध में सामग्री उपलब्ध है जो निम्न प्रकृति की है-
- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1026/सी०आर०, दिनांक 28-03-2014 के द्वारा श्वेत कमल उर्फ बौआजी की आपराधिक गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदित किया है, जो अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
2. श्वेत कमल उर्फ बौआजी आपराधिक गतिविधियों में काफी दिनों से संलग्न है। उनके विरुद्ध कई थानों में दर्ज कांडों का ब्यौरा निम्न प्रकार है-
1. मुरलीगंज थाना कांड सं०-10/08 दिनांक 04.02.08 धारा 341/323/384/307/504/506/34 भा.द. वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
 2. मुरलीगंज थाना कांड सं०-60/07 दिनांक 04.05.07 धारा-147/148/353/341/342/504 भा.द.वि.।
 3. मुरलीगंज थाना कांड सं०-129/07 दिनांक 17.09.07 धारा-147/148/323/342/504/506 भा.द.वि.।
 4. मुरलीगंज थाना कांड सं०-142/07 दिनांक 07.10.07 धारा- 147/148/149/141/323/325/ 379/ 504 भा.द.वि.।
 5. बनमनखी थाना कांड सं०-59/08 जी०आर०नं०-1234/08 धारा-25(1बी०)ए/26/35/30 आर्म्स एक्ट।
 6. मधेपुरा थाना कांड सं०-247/09 जी.आ.नं.-903/09 धारा-302/120(बी)/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
3. यह भी गुप्त सूचना मिली है कि श्वेत कमल उर्फ बौआजी असामाजिक तत्वों को एकत्र कर आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में अपने समर्थित व्यक्ति के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया गया है जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पूर्व भी इस तरह की कुकृत्य कर चुके हैं।
4. इन आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि उन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-2(d)(i) के अन्तर्गत "असामाजिक तत्व" माना जाय।

32

5. श्वेत कमल उर्फ बौआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव, सा० हरिपुर कला, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु अर्जिततादारी के न्यायालय में दिनांक- 01-04-2014 को 09.00 बजे अप० में उपस्थित हों या यदि चाहें तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण आर्जित विषय वस्तु के संबंध में दाखिल कर सकते हैं कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 की उप धारा 3 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाय ? वे यह भी सूचित करेंगे कि क्या वे स्वयं या अन्य गवाह (यदि हों तो उनका नाम एवं पता) उनके स्पष्टीकरण के समर्थन में परीक्षण के लिये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना चाहते हैं।
6. श्वेत कमल उर्फ बौआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव, सा० हरिपुर कला, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को एतद् द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। यदि वे उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं या कोई स्पष्टीकरण या सूचना निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त नहीं हो पायेगी तो यह समझा जायेगा कि वे अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या अपवाद देने के इच्छुक नहीं हैं और अतिसार आगे आदेश पारित किया जायेगा।
मंरे हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत।

दिनांक- 29-03-2014
स्थान- मधेपुरा।

ह०/—
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

आपांक 329 / विधि, मधेपुरा, दिनांक 29-03-2014

- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को उनके आंक 1026/सी०आर०, दिनांक 28-03-2014 पर प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। नोटिस तामिला हेतु अपने स्तर से भेजने का करंट किया जाय।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को नोटिस की को प्रति निर्गत करते हुए निदेशित किया जाता है कि इसकी विविध तामिला सुनिश्चित करते हुए तामिला प्रेषित करके जिला न्यायालय को सूचित करके उपलब्ध करावें। इसे सख्त ताकीद जाय।
- प्रतिलिपि : लोक अभियोजक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : श्वेत कमल उर्फ बौआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव, सा० हरिपुर कला, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।



5. श्वेत कमल उर्फ बीआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश नाठ यादव ,
साठ हरीपुर कला , थाना मुरली गंज, जिला मधेपुरा को एतद
द्वारा निदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपी के संबंध में स्पष्टीकरण
 देने हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 1.4.2014 को
 2.00 बजे अपठ में उपस्थित होया यदि चाहे तो अपने अधिकता
 के माध्यमसे लिखित स्पष्टीकरण आह्वान क्त विषय वस्तु के संबंध में
 दाखिल कर सकते है, कि कमी नहीं उनके विरुद्ध बिहार आराध
 निबंधन अधिनियम 1981 की धारा 3 की अन्तर्गत आदेश
 पारित किया जाय। वे यह भी सूचित करेंगे कि क्या वे स्वयं का अन्य
 गवाह यदि हो तो उनका नाम एवं पता उनके स्पष्टीकरण के समर्पण
 में परीक्षण के लिये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना चाहते है
 6. श्वेत कमल उर्फ बीआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश नाठ यादव ,
साठ हरीपुर कला , थाना मुरली गंज, जिला मधेपुरा को एतद द्वारा
 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित
 होने का निदेश दिया जाता है, यदि वे उपस्थित होने में असफल रहते है
 या कोई स्पष्टीकरण या सूचना निर्धारित समय के अंदर प्राप्त
 नहीं होता है। तो यह समझा जायेगा कि ये अपने विरुद्ध लगाये गये
 आरोपी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या गवाह देने के इच्छुक नहीं है।
 और तदनुसार आगे आदेश पारित किया जायेगा ।

भरेहस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत।

दिनांक 29.3.2014

80

जिला दंडाधिकारी

स्थान मधेपुरा

ज्ञापन सं 329 विधि मधेपुरा दिनांक 29.3.2014

मधेपुरा ।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को उनके पत्रांक 1027/ सी० आ०

दिनांक 28.3.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नोटिस तामिमला देव अने स्तरसे भेजने का कष्ट किया जाया।

प्रतिलिपि : थाना अध्यक्ष, मुरली गंज को नोटिस की दो प्रतियाँ निर्गत

करते हुए निवेदन किया जाता है कि इसकी विधिगत तामिमला सुनिश्चित

करे तामिमला प्रतिवेदन भिजित कर अधीक्षक मधेपुरा को उपलब्ध कराये।

इसे सख्त ताकीद जाने।

प्रतिलिपि :- लोक अभियोजक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- श्वेत कमल उर्फ बीआजी पेठ प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश नाठ

यादव साठ हीसुर थाना

कला

एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

मुरली गंज जिला मधेपुरा को सूचनार्थ

803सपष्ट

29.3.14

जिला दंडाधिकारी मधेपुरा

न्यायालय में,

श्रीमान् समाहर्ता

—सह—

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

बी० सी० सी० एक्ट वाद संख्या— 25/14

राज्य

बनाम

श्वेत कमल उर्फ बौआजी

कारण पृच्छा तरफ से श्वेत कमल उर्फ बौआजी पिता— प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश नारायण यादव सा० हरिपुर कला थाना मुरलीगंज, जिला— मधेपुरा दाखिल कर निवेदन करते हैं कि :-

1. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिश के कॉलम 'क' में वर्णित तथ्य के संबंध में सादर निवेदन है कि मैं पूर्व में नगर पंचायत मुरलीगंज का उपाध्यक्ष था वो सम्प्रति अभी पार्षद हूँ एवं मधेपुरा जिला योजना समिति का सदस्य हूँ और मधेपुरा लोकसभा यूथ कांग्रेस का दोबारा नर्वाचित अध्यक्ष हूँ एवं मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा मेरे पिता मार्केटिंग सचिव पद से अवकाश प्राप्त हैं एवं मेरे परिवार के किसी सदस्य का कभी भी कोई आपराधिक इतिहास न रहा था और न है वो सम्प्रति मेरी माँ जिला परिषद मधेपुरा की अध्यक्ष है, वो मेरी भाभी भी सम्प्रति मुरलीगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं।

2. यह कि कंडिका 'ख' में उल्लेखित भारतीय दंड विधान के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अधीन अपराध करने का मैं आदि भी नहीं हूँ और न भी आदतन अपराधी हूँ। वो श्रीमान् को दी गयी ऐसी कोई सूचना भ्रामक है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है।

3. यह कि कंडिका 'ग' में उल्लेखित यह कथन कि मधेपुरा जिला में मेरी प्रतिविधि एवं कार्य से आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा खतरे में है उक्त संबंध में आवेदन में कंडिका (1) एवं (2) से स्पष्टीकरण अंकित किया गया है।

जहाँ तक मेरे खिलाफ पुलिस अधीक्षक मधेपुरा द्वारा प्रेषित कांड के संबंध में निवेदन है कि -

(i) मुरलीगंज थाना कांड संख्या - 10/08 के सूचक मनोज यादव पर मधेपुरा जिला के कुख्यात अपराध कर्मी बुच्चन यादव जो अभी भी न्यायिक हिरासत में है को संरक्षण देने के कारण मुरलीगंज पुलिस द्वारा कांड संख्या 08/07 दर्ज कराया गया है। उसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति के खिलाफ करजैन (सुपौल) थाना कांड संख्या - 18/05 पूर्व से लम्बित है जो आर्म्स एक्ट का मामला है। उक्त मामले में गोली वो अवैध हथियार के साथ मनोज यादव गिरफ्तार हुआ था। इतना ही नहीं उक्त व्यक्ति के खिलाफ मेरे परिवार के लोगों में भी काउन्टर केश दर्ज किया था मुरलीगंज थाना कांड सं०-11/08 जो दाखिल कागजातों से स्पष्ट होगा। उसके अलावा भी इनपर कई एक मामला विभिन्न थानों में दर्ज है।

(ii) मुरलीगंज थाना कांड संख्या 60/07 के संबंध में कहना है कि कांड के सूचक रविन्द्र पासवान चौकीदार ने शपथ पत्र के द्वारा इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि उक्त कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो दाखिल शपथ पत्र के कंडिका से स्पष्ट परिलक्षित है।

(iii) मुरलीगंज थाना कांड संख्या 129/07 के संबंध में निवेदन है कि उक्त कांड के पूर्व मेरे ममेरे भाई द्वारा कांड संख्या 128/07 दर्ज कराया गया था जिसका काउन्टर केश के रूप में अपराधी गुड्डु यादव सूचक ने उक्त बाद दायर किया था तथा उक्त कांड में पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन मेरे पक्ष में तथ्य की भूल समर्पित किया गया है एवं अपराधी गुड्डु यादव के खिलाफ साक्ष्य पाया है तथा इनपर पूर्व से मामला लंबित है।

(iv) मुरलीगंज थाना कांड संख्या- 142/07 के सूचक केशव यादव एवं नारायण यादव द्वारा एक दलित महिला निर्मला देवी को घर में घुसकर मारपीट किया गया था। उक्त संबंध में निर्मला देवी के द्वारा दायर कांड संख्या भी लंबित है एवं नारायण यादव पर मुरलीगंज थाना कांड सं०-124/95 भी लंबित है। जिनमें नारायण यादव जेल में रहकर सजा काट चुके हैं। दलित महिला का सही पंचायत करने पर नारायण यादव द्वारा मुझपर एवं कई ग्रामीणों पर झुठा मुकदमा दायर किया गया था एवं राजनीतिवश मेरा नाम उक्त कांड में दिया गया था। उक्त कांड में पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे एवं कई ग्रामीणों को निर्दोष करार दिया गया है जिसकी छायप्रति संलग्न है।

35

(v) बनमनखी थाना कांड संख्या 59/08 के संबंध में निवेदन है कि उक्त केश मे पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार समर्पित करने का उल्लेख किया है जो दाखिल कागजात से स्पष्ट है।

(vi) मधेपुरा थाना कांड संख्या 247/09 के संबंध में सादर निवेदन है कि उक्त कांड के न तो प्राथमिकी में मेरा नाम दर्ज है और न ही पुलिस द्वारा समर्पित आरोप-पत्र में मेरे नाम का उल्लेख है जो दाखिल कागजात से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों से श्रीमान् संतुष्ट होंगे कि नोटिश के विभिन्न कंडिकाओं में उल्लेखित कोई भी अभियोग मेरे खिलाफ नहीं बनता है तथा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के लिए व्यक्ति का समाज विरोधी (एन्टी सोशल) होना वो साथ ही एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके गतिविधि से जिला स्तर पर आम सामाजिक लोगों के जीवन वो सम्पत्ति पर खतरा है। वो एन्टी सोशल शब्द को अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित कर उसकी सीमा रेखा तय की गयी है। जो सभी शर्तें मेरे उपर लागू नहीं होती है।

मैं और मेरा परिवार समाज सेवक मात्र है। किसी भी अपराध से मेरा कोई तालुकात नहीं रहा है, न ही मेरी मानसिकता अपराधी प्रवृति का न कभी था न आज है न भविष्य में रहेगा।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि मुझे उक्त आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक

श्रीवेंत कमल
01/04/2014

द्वारा

अधिवक्ता
01/04/14

De-6

36



न्यायालय, समारुत्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा

बी० सी० सी० ए० वाद सं०- 25/2014

राज्य बनाम श्वेत कमल उर्फ बौआजी

--: आदेश :-

01-04-2014

यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा 3 की उप धारा 3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1026/सी०आर०, दिनांक 28-03-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्वेत कमल उर्फ बौआजी पे० प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव सा० हरिपुर कला थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा एक कुख्यात एवं दबंग अपराधकर्मी हैं। इनके द्वारा कई जघन्य अपराध को कारित किया गया है। इनका साठ-गांठ असामाजिक तत्व से है। इनके द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग, प्रशासन के कार्यों में दबंगता के साथ बाधा डालना लोगों को सवोध निरोध करना इत्यादि अपराध किया गया है। इनके भय से आम जनता इनके विरुद्ध शिकायत करने से डरती हैं पूरी संभावना है कि लोक सभा चुनाव-2014 में भी यह अप्रिय घटना कर समाज में दहशत फैला सकता है। प्रतिवेदन के अनुसार श्वेत कमल उर्फ बौआजी सम्प्रदायिक असामाजिक तत्व है। इनका मुख्य पेशा समाज में अशांति पैदा करना है। ये सम्प्रदायिक सौहार्द विगाड़ सकते हैं। इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है :-

1. मुरलीगंज थाना कांड सं०-10/08 दिनांक 04.02.08 धारा-341/323/384/307/504/506/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
2. मुरलीगंज थाना कांड सं०-60/07 दिनांक 04.05.07 धारा-147/148/353/341/342/504 भा.द. वि.।
3. मुरलीगंज थाना कांड सं०-129/07 दिनांक 17.09.07 धारा 147/148/149/141/323/325/379/504 भा.द.वि.।
4. मुरलीगंज थाना कांड सं०-142/07 दिनांक 07.10.07 धारा 147/148/149/141/323/325/379/504 भा.द.वि.।
5. बनमनखी थाना कांड सं०-59/08 जी.आर.नं०-1234/08 धारा- 25(1बी)ए/26/35/30 आर्म्स एक्ट।
6. मधेपुरा थाना कांड सं०-247/09 जी.आर.नं०-903/09 धारा-302/120बी/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि श्वेत कमल उर्फ बौआजी असामाजिक तत्वों को एकत्र कर आसन्न मधेपुरा लोक सभा चुनाव-2014 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिये डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा गया है जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय ज्ञापांक 329/विधि, दिनांक 29.03.14 के द्वारा नोटिस जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण पृच्छा दिनांक 01.04.2014 तक समर्पित करने का अवसर दिया गया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण सुनवाई की तिथि 25.03.14 निर्धारित की गई। सुनवाई के समय निर्धारित तिथि को श्वेत कमल उर्फ बौआजी सदेह उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने को निर्दोष बताते हुए वर्णित कांड में आपराधी दुश्मनी, रंजिश के कारण फंसाये जाने की बात बताई गई। राज्य की ओर उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने इसका पूरजोर विरोध करते हुए बताया कि ये इनका मनगढ़ंत कथन है। वर्णित कांड में आरोपित हैं, जो गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(1) के अन्तर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा किशनगंज जिला के वायसी थाना में

37

हार्जिरी देवे हेतु लिखित सहमति दी है। अतएव उल्लिखित तथ्यों के आधार पर श्वेत कमल उर्फ बौआजी प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव सा० हरिपुर कला थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अन्तर्गत 13-मधेपुरा लोक सभा चुनाव-2014 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए मधेपुरा जिला से किशनगंज जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 04-04-2014 से किशनगंज जिला के वायसी थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10.00 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे अप० के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक 30-04-2014 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप में सूचना वायसी थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात् ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, वायसी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में मधेपुरा जिला से जिला बदर किये गए श्वेत कमल उर्फ बौआजी पे० प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव सा० हरिपुर कला थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला दंडाधिकारी, किशनगंज/ पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष मुरलीगंज/ वायसी को भेजें।

श्वेत कमल उर्फ बौआजी को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/ थानाध्यक्ष, वायसी को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा मधेपुरा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापत्र एवं शुद्धित
01/04/14
जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

Qmema
01/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक...345...../विधि, मधेपुरा, दिनांक...01...04...2014.

- प्रतिलिपि: जिला दंडाधिकारी, किशनगंज/ पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/ थाना अध्यक्ष, वायसी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ थाना अध्यक्ष, मुरलीगंज/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: श्वेत कमल उर्फ बौआजी पे० प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश ना० यादव, सा० हरिपुर कला, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Qmema
01/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

(2)

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लाने)

(Particulars of accused persons charge-sheeted) आरोपित - 6 अक्टूबर

- (i) *नाम (Name)..... (ii) पिता/पति का नाम.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग.....
- (v) पारंप्र सं०.....
- (vi) निर्गम स्थान.....
- (vii) धर्म.....
- (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
- (ix) पेशा..... (x) पता.....
- (xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.) x
- (xii) *नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known) x
- (xiii) *गिरफ्तारी की तिथि.....
- (xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail).....
- (xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwarded to Court).....
- (xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections).....
- (xvii) *जमानत लेने/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी का नाम और पता.....
- (xviii) *केस नंबरों सहित पूर्व दोष सिद्धि.....
- (xix) *अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused).....

(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect.)

कम सं०

- (i) *नाम (Name).....
- (ii) पिता/पति का नाम.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग.....
- (v) पारंप्र सं०.....
- (vi) निर्गम स्थान.....
- (vii) धर्म.....
- (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
- (ix) पेशा..... (x) पता.....
- (xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.).....
- (xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No).....
- (xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect) (Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Not arrested).....
- (xiv) *किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन.....
- (xv) *आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति.....

